न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 31/2024

अनवान : –

1. रेशमा पत्नी स्व0 बृजलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजेन्द्र पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. महावीर पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. सरोज पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
श्री श्रवण कुमार अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 02/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 82/77 की कुल 20.0190 हैक्ट भूमि में से वादीया के पति बृजलाल के 1/4 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा बृजलाल फौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है। वादीया के पति बृजलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्रों के नाम भूमि दर्ज करवा दी थी लेकिन अपना 1/4 हिस्सा भूमि बृजलाल के नाम दर्ज है तथा मृतक बृजलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीया संख्या 4 जो की वादीया की पुत्री एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की बहिन है। उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीया के पक्ष में परित्याग क[illegible] तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम पहले से ही प्रत्येक के नाम 1[illegible] मृतक बृजलाल के नाम दर्ज भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अ[illegible]ा जो भी हक हिस्सा [illegible]ीया के पक्ष में परित्याग कर चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:05 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार ने वकालतनामा पेश किया जाकर इकबाल जवाब पेश कर निवेदन किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2076–79 रोही मौजा दुर्जाना खाता संख्या 82/77, मृत्यु प्रमाण पत्र बृजलाल, सरपंच ग्राम पंचायत मेघाना द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्रआदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीया के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा दर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 82/77 की कुल 20.0190 हैक्ट भूमि में से वादीया के पति बृजलाल के 1/4 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा बृजलाल फौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है। वादीया के पति बृजलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्रों के नाम भूमि दर्ज करवा दी थी लेकिन अपना 1/4 हिस्सा भूमि बृजलाल के नाम दर्ज है तथा मृतक बृजलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीया संख्या 4 जो की वादीया की पुत्री एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की बहिन है। उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीया के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम पहले से ही प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज है इसलिए मृतक बृजलाल के नाम दर्ज भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादीया के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:05 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 82/77 की कुल 20.0190 हैक्ट भूमि में से वादीया के पति बृजलाल के 1/4 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा बृजलाल फौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है। वादीया के पति बृजलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्रों के नाम भूमि दर्ज करवा दी थी लेकिन अपना 1/4 हिस्सा भूमि बृजलाल के नाम दर्ज है तथा मृतक बृजलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है। वादीया का कथन है कि वादीया के पति बृजलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्रों के नाम भूमि दर्ज करवा दी थी लेकिन अपना 1/4 हिस्सा भूमि बृजलाल के नाम दर्ज है तथा मृतक बृजलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीया संख्या 4 जो की वादीया की पुत्री एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की बहिन है। उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीया के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम पहले से ही प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज है इसलिए मृतक बृजलाल के नाम दर्ज भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादीया के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। वादीया के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरंपच ग्राम पंचायत मेघाना द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार मृतक बृजलाल के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 82/77 की कुल 20.0190 हैक्ट भूमि में से [illegible] पुत्र प्रेमारा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में बृजलाल पुत्र प्रेमा[illegible]कर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। [illegible] रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमी[illegible] शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:05 IST
Reason: SelfAttested

रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:05 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 31/2024

अनवान : –

1. रेशमा पत्नी स्व0 बृजलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजेन्द्र पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. महावीर पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. सरोज पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 31 सन 2024 निर्णय दिनांक 02/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री रामकुमार बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण कुमार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दर्जाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 82/77 की कुल 20.0190 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि बृजलाल पुत्र प्रेमाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में बृजलाल पुत्र प्रेमाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:05 IST
Reason: SelfAttested